XXIX (a)BR(H)-11

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक रेस्टो.159[illegible]/04 रेस्टो. 1594/04 जिला–नरसिंहपुर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 26–8–15<br>कैम्प जबलपुर | यह प्रकरण दिनांक 4–4–05 को इस न्यायालय में दायर किया गया है तब से लेकर आज तक आवेदक की ओर से कई बार नोटिस देने के बाद भी कोई उप. नहीं हो रहा है ।<br>प्रकरण आदेशार्थ ।<br>सदस्य | |
| 1–9–15 | प्रकरण के अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदक को अपना प्रकरण चलाने में कोई रूचि नहीं हैं । अतः आवेदक की रूचि के अभाव में यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो ।<br>सदस्य | |

२४-१-०५ को प्रस्तुत ।

Rest 0159 III/2004

COURT FEE 2 Rs. भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES CANCELLED

22/1/04 24

प्रति,
समक्ष- राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर

डाक द्वारा दिनांक 22/1/04 को प्राप्त ।

गौरावाई पत्नी सियाराम गुप्ता, बर्ष ५६ निवासी राघावल्लभ वार्ड गाडरवारा जिला नरसिंहपुर(म०प्र०)

आवेदिका-

हिमौतीवाई एंव अन्य पत्नी हंसराम लोधी निवासी, तेन्दूखेड़ा (लोटीटोरिया) तहसील- गाडरवारा जिला नरसिंहपुर,

बिषय:- आवेदन वास्ते एक पक्षीय कार्यवाही निरस्त किए जाने वावत।
शपथ पत्र

आवेदिका निम्न लिखित प्रार्थना करती है कि :-

(१) अनावेदिका द्वारा आवेदिका के बिरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष अपील- क्रमांक आर-१५०३ [illegible]/०२- प्रस्तुत की है जिसकी सुनवाई दिनांक ४-११-०३ को आयुक्त कार्यालय जबलपुर में रखी गई थी परन्तु उस दिन आवेदिका को- नोटिस प्राप्त हो जाने के बाद भी वह अनुउपस्थित रही [illegible] कारण उसके- बिरूद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया गया है।

(२) यह कि आवेदिका १-११-०३ से एकाएक अस्वस्थ हो गई तथा बीमरी के कारण इतनी ~~अस्वस्थ~~ अस्वस्थ हो गई कि चलने फिरने लायक भी नहीरही? उसका बिधिवत इलाज भी चला तथा नियमित ७-११०२ -तक वह चिकित्सालय में रही तथा लगातार वह अस्वस्थ रही है।

(३) यह कि बीमारी के दौरान डाक्टर द्वारा आवेदिका को पूर्ण बिश्राम की सलाह दी थी।

(४) यह कि आवेदिका का स्वास्त्य १५-१-०४ को कुछ ठीक हो पाया तव उसने जबलपुर में जाकर प्रकरण की जानकारी कीतब उसे जानकारी मिली कि- उसकी अनुउपस्थिति के कारण उसका प्रकरण एक तरफीय खारिज कर - दिया गया है।

(५) यह कि आवेदिका जानबूझकर अनुउपस्थित नही थीतथा उसकी अनुउपस्थिति सदभाव पूर्ण थीतथा क्षमा योग्य है। अस्वस्था के कारण पुष्टी में डा० प्रमाण पत्र संलग्न है।
अतः एक पक्षीय आदेश निरस्त किया जाये।

गौरा गुप्ता

गवाहान:-
१- [illegible] कोरी गाडरवारा

-सत्यापन-
आवेदिका गौरावाई उम्र ५६ वर्ष वहलफ ब्यान करती है कि कंडिका १ से ५ तक की जानकारी उसके सत्य ज्ञान से सही है तथा उसे प्रमाणित करती है।

गौरा गुप्ता

शपथ आयुक्त गाडरवारा (म.प्र.)

२१-